संख्या 11017/2/94-छात्रवृत्ति सैल
भारत सरकार
कल्याण मंत्रालय
.....

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक 29 दिसम्बर, 1995

परिपत्र

विषय:- उन छात्रों को छात्रवृत्ति की मंजूरी जिनके आय कमाने वाले माता-पिता की मृत्यु के कारण परिवार की आय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा के भीतर हो जाती है।

.....

इस मंत्रालय में इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टैक्नोलॉजी, मद्रास के डिप्टी रजिस्ट्रार (एकेड) का दिनांक 27.11.95 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी संख्या एफ.एकेड/एसीडी/बी5/95 है। पत्र में उन्होंने सुझाव दिया है उक्त योजना के अंतर्गत उस अभ्यर्थी को पिछले वर्ष उसके माता-पिता की आय को ध्यान में रखे बिना छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए जिसके आय कमाने वाले माता-पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण परिवार आय विहीन हो जाता है।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वे छात्र, जिनके माता-पिता की आय उक्त योजना के तहत निर्धारित आय सीमा के भीतर हो, योजना की अन्य शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता के अध्यधीन शामिल किए जाने योग्य है। अतः वैसे छात्र जिनके माता-पिता की आय माता-पिता में से एक कमाने वाले सदस्य की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने के कारण प्रभावित होती है और परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा के नीचे हो जाती है, पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हुए उस महीने से छात्रवृत्ति के पात्र हो जाएंगे जिस महीने में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है। ऐसे छात्रों से छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनुकम्पा के आधार पर आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख समाप्त होने के बाद भी विचार किया जा सकेगा।

3. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इसका विधिवत प्रचार करें।

(वी.के. गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 3383853

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सचिव।

प्रति प्रेषित:- सभी आई आई टी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय।